भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *333
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान

***333. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः**
श्री नव चरण माझीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत पालघर और दाहोद सहित देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वीकृत नई सड़कों और पुलों को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा और राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण बारहमासी मानकों के अनुरूप विशेषकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के निवास वाले वन और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाए और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार और जिला-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) राज्य-वार और जिला-वार कितने पीवीटीजी पर्यावासों और लाभार्थियों को इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बारहमासी सड़क से सीधे जोड़ा जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन अवसंरचना कार्यों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए राज्य-वार तथा जिला-वार वास्तविक समय में निगरानी अथवा तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की स्थापना की है; और

(ङ) क्या पालघर और दाहोद में मूलभूत अवसंरचना परियोजनाओं से आर्थिक कार्यकलापों और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12-08-2025 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं.*333 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत सड़क संपर्कता घटक के लिए पुलों सहित कुल 8,000 किमी सड़क लंबाई का निर्माण किया जाना है ताकि देश भर में विशेष रूप से संवेदनशील असंबद्ध जनजातीय समूहों के गांवों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएम-जनमन के तहत, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को 6,507 किमी की कुल 2,269 सड़कों और 7 पुलों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 07.08.2025 तक 748 किमी लंबाई

की 125 सड़कें पहले ही निर्मित की जा चुकी हैं। पीएम-जनमन के पूर्ण होने की समयसीमा मार्च, 2028 है। पीएम-जनमन के तहत राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत कार्य		
		सड़कों की संख्या	स्वीकृत लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	206	612.71	0
2	छत्तीसगढ़	715	2449.10	0
3	गुजरात	2	1.55	0
4	झारखंड	300	914.14	1
5	कर्नाटक	40	63.75	2
6	मध्य प्रदेश	783	1835	0
7	महाराष्ट्र	27	50.13	0
8	ओडिशा	66	211.14	4
9	राजस्थान	38	98.68	0
10	तेलंगाना	25	66.97	0
11	त्रिपुरा	67	203.10	0
कुलः		**2,269**	**6,506.27**	**7**

जिलावार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in ->Progress Monitoring ->Dynamic Reports ->Progress Report पर देखा जा सकता है।

(ख) पीएम-जनमन की सड़क संपर्कता घटक को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के मानक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिज़ाइन मानकों के अनुसार हैं, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों, ग्रामीण सड़कों के मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) एसपी: 20: 2002, आईआरसी एसपी: 72: 2015 में दिए गए हैं, और जहाँ आवश्यक हो, हिल रोड्स मैनुअल आईआरसी एसपी: 48 तथा अन्य आईआरसी कोड/मार्गदर्शकों के अनुसार भी हैं।

पीएम-जनमन योजना के तहत राज्यों को 07-08-2025 तक जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। केंद्र, राज्यों को निधि जारी करता है और फिर राज्य संबंधित जिलों को राज्य अंश के साथ निधि जारी करते हैं। ***व्यय का जिलावार विवरण, जिसमें राज्य अंश शामिल है, कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in ->Progress Monitoring ->Dynamic Reports ->Progress Report पर देखा जा सकता है।***

(ग) पीएम-जनमन के तहत, अब तक निम्नलिखित संख्या में पीवीजीटी आवासों को स्थायी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी गई हैः

राज्य	स्वीकृत पीवीजीटी बसावटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	238
छत्तीसगढ़	775
गुजरात	2

झारखंड	301
कर्नाटक	41
मध्य प्रदेश	808
महाराष्ट्र	27
ओडिशा	74
राजस्थान	38
तेलंगाना	26
त्रिपुरा	73
राज्य कुल	**2403**

जिलावार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in ->Progress Monitoring ->PMJANMAN STA Scrutinise पर देखा जा सकता है।

(घ) सरकार पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परियोजनाओं, जिसमें पीएम जनमन भी शामिल है, की प्रगति की निगरानी विभिन्न डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से कर रही है। परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़क के नियमित और आवधिक रखरखाव की निगरानी के लिए ई-मार्ग (पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) प्लेटफार्म को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियो-टैगिंग का उपयोग योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की वास्तविक समय की निगरानी और सत्यापन सक्षम करता है। सभी पीएमजीएसवाई और पीएम-जनमन सड़कों और पुलों को निर्माण के विभिन्न चरणों में फोटो के साथ जियो-टैग किया गया है। इसके कार्यान्वयन को बेहतर निर्णय लेने और पारदर्शिता के लिए जीआईएस आधारित आयोजना टूल्स और डैशबोर्डों द्वारा भी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के रखरखाव की नियमित समीक्षा का प्रावधान है, जो क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम), प्रदर्शन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकें, राज्य के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकें के माध्यम से मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि योजना की प्रगति, जिसमें रखरखाव के पहलू शामिल हैं, का आकलन किया जा सके।

पीएमजीएसवाई के तहत कार्यक्रम के निष्पादन को इच्छित गुणवत्ता मानदंडों तक लाने के लिए एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र संस्थागत किया गया है, जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परिसंपत्तियों की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। पहले स्तर के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निर्धारित परीक्षणों के माध्यम से सामग्री और श्रमिकता पर प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो क्षेत्र की प्रयोगशाला में किए जाते हैं। दूसरे स्तर पर, राज्य स्तर पर एक संरचित स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और निर्माण के अंतिम चरण पर निरीक्षण किया जाए। तीसरे स्तर के अंतर्गत, सड़क कार्यों की निरीक्षण के लिए रैंडम नमूना आधार पर न केवल गुणवत्ता की निगरानी के लिए बल्कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं

को वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा तैनात किए जाते हैं, जो मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा है। एनक्यूएम की टिप्पणियाँ राज्य सरकारों को कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैं, और कार्यवाही की रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी मंत्रालय की तकनीकी शाखा अर्थात् एनआरआडीए द्वारा की जाती है। त्रि-स्तरीय तंत्र के तहत सड़क की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी के आधार पर, जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

(ङ) देश भर में 200 जिलों में विशेष रूप से 22000 संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीजीटी) की बहुलता वाली जनजातीय बसावटों और पीवीजीटी परिवारों तक पहुँचने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम-जनमन के लिए एक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से मिशन को मंजूरी दी है, जो 9 मुख्य समन्वित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करता है। पीएम-जनमन के सड़क संपर्क घटक का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यों की समाप्ति के बाद किया जाएगा, लेकिन पीएमजीएसवाई पर किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों से निष्कर्ष निकला है कि इसने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में सुधार किया है, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया है, और किसानों को बेहतर कृषि मूल्य प्राप्त करने में मदद की है, आदि। पीएमजीएसवाई सड़कों ने बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों के लिए सुलभ हो रही हैं। महिलाएँ इस योजना की प्रमुख लाभार्थी रही हैं, क्योंकि अधिकांश प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं और वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है, जो कि उनके बाजार पहुंच में परिलक्षित होती है। यह योजना विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को भी संबोधित करती है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में।

पीएम-जनमन के अंतर्गत पालघर (महाराष्ट्र) और दाहोद (गुजरात) के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त और स्वीकृत नहीं किए गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पीएम-जनमन के तहत स्वीकृतियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पीएम-जनमन के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय/ एनआरआईडीए में स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 333 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

पीएम-जनमन के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी (रुपये करोड़ में)	
		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	41.20	0.00
2	छत्तीसगढ़	143.93	180.00
3	**गुजरात**	0.00	0.71
4	झारखंड	6.20	18.00
5	कर्नाटक	0.00	13.58
6	मध्य प्रदेश	33.01	75.00
7	**महाराष्ट्र**	0.00	0.00
8	ओडिशा	8.43	20.00
9	राजस्थान	0.00	8.21
10	तेलंगाना	0.00	0.00
11	त्रिपुरा	0.00	24.44
कुल:		**232.77**	**339.94**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम-जनमन को क्रियान्वित करने वाले राज्यों के बीच 1,260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; हालांकि, राज्यों से निधि प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

अनुबंध-II

12.08.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 333 के भाग (ङ) में संदर्भित अनुबंध

पीएम-जनमन के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

राज्य - गुजरात

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	पैकेज संख्या	वर्ष	सड़क का नाम	पेवमेंट की लंबाई (किमी में)	कुल लागत (लाख में)
1	साबरकांठा	विजयनगर	जीजे2108-पी1	2023 - 2024	एल021-बदरखा-कठोडी वसाहट रोड	0.95	78.65
2	साबरकांठा	विजयनगर	जीजे2108-पी1	2023 - 2024	एल022-केलावा (परोसदा)-काठोड़ी वसाहट रोड	0.6	45.64
कुल योग:						**1.55**	**124.29**

राज्य - महाराष्ट्र

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	पैकेज संख्या	वर्ष	सड़क का नाम	किमी में)	कुल लागत (लाखों में)
1	गढ़चिरोली	अहेरी	एमएच1001	2024 - 2025	एल027-उमानूर से करंचा रोड	2.12	155.37
2	गढ़चिरोली	अहेरी	एमएच1003	2024 - 2025	एल026-काल्ड से लोवा रोड	2.15	164.28
3	गढ़चिरोली	अहेरी	एमएच1004	2024 - 2025	एल024-एसएच376 से पट्टीगांव रोड	4.86	460.23
4	गढ़चिरोली	अहेरी	एमएच1011	2024 - 2025	एल022-नैंगुडम से टोंडर रोड	5.6	591.71
5	गढ़चिरोली	अहेरी	एमएच1012	2024 - 2025	एल021-वीआर 120 से येरामनार तोला	1.97	190.12
6	गढ़चिरोली	भामरागढ़	एमएच10एमएच-1013	2024 - 2025	एल031-इरापनार से कुचेर रोड	2.3	207.18
7	गढ़चिरोली	इटापल्ली	एमएच1005	2024 - 2025	एल023-एसएच 380 से कुकेली रोड	0.8	75.82
8	गढ़चिरोली	इटापल्ली	एमएच1006	2024 -	एल022-कोटमी से गडेरी रोड	2.86	283.72

				2025			
9	गढ़चिरोली	इटापल्ली	एमएच1008	2024 – 2025	एल024-एसएच 363 से बैटर रोड	4.11	394.59
10	गढ़चिरोली	इटापल्ली	एमएच1010	2024 – 2025	एल025-बुर्गी से अबनपल्ली रोड	4.62	433.65
11	नासिक	नंदगांव	एमएच20135	2024 – 2025	एल073-एमडीआर-90 से रामवाड़ी रोड	0.9	87.48
12	नासिक	नंदगांव	एमएच20135	2024 – 2025	एल074-वीआर-34 से पडझापा रोड	0.93	87.32
13	नासिक	नंदगांव	एमएच20135	2024 – 2025	एल075-वीआर-34 से दगड़वाड़ी रोड	1.63	162.92
14	रायगढ़	अलीबाग	एमएच2490	2024 – 2025	एल153-बसनेवाड़ी रोड	2.5	202.87
15	रायगढ़	अलीबाग	एमएच24101	2024 – 2025	एल157-पटवाड़ी से बेलोशी परलवाड़ी रोड	2.5	273.39
16	रायगढ़	खालापुर	एमएच2483	2024 – 2025	एल151-वावोशी (फनास्वाड़ी) से दंडवाड़ी	0.8	75.8
17	रायगढ़	खालापुर	एमएच2482	2024 – 2025	एल150-वावोशी से बर्माथवाड़ी रोड	0.65	86.46
18	रायगढ़	खालापुर	एमएच24112	2024 – 2025	एल156-वीआर 19 मदाप तक कातकर्वाड़ी	0.51	86.2
19	रायगढ़	खालापुर	एमएच24111	2024 – 2025	एल155-एनएच 04 से हाल ख कातकर्वाड़ी	0.51	52.82
20	रायगढ़	खालापुर	एमएच24114	2024 – 2025	एल158-एसएच 104 पौड तक आदिवासीवाड़ी (वाडीपॉड)	0.51	93.78
21	रायगढ़	मनगांव	एमएच24115	2024 – 2025	एल201-पन्हालघर बीके से आदिवासीवाड़ी	0.75	74.61
22	रायगढ़	कलम	एमएच24107	2024 – 2025	एल152-ओडीआर-55 से करंजलवाड़ी	1.25	148.97
23	रायगढ़	कलम	एमएच24109	2024 – 2025	एल151-ओडीआर-45 से मालवाड़ी रोड	0.655	99.36
24	रायगढ़	सुधागढ़	एमएच2486	2024 – 2025	एल150-एमडीआर 38 से करचुंडे कातकर्वाड़ी	1	100.07

25	रायगढ़	सुधागढ़	एमएच24105	2024 – 2025	एल156-रसाल से रसाल वाडी रोड	1.2	130.08
26	रायगढ़	सुधागढ़	एमएच24106	2024 – 2025	एल155-कलाम ठाकुरवाड़ी ब्रिज से कौलोशी कटकरवाड़ी	1.2	122.76
27	थाणे	मुरबाद	एमएच30105	2024 – 2025	एल500-वीआर 81 से देहनोली कातकरीवाड़ी रोड	1.25	194.27
कुल योग:						**50.135**	**5035.82**

*****